न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

जी0आर0सं0–639/2020

दाउदनगर थाना कांड संख्या–218/2020

03.11.2020 आवेदक स्कार्पियो वाहन निबंधन संख्या–**JH13F6147** का स्वामी योगेन्द्र कुमार की ओर से दिनांक–19.09.2020 को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उपरोक्त वाहन को आवेदक के पक्ष में मुक्त किया जाय ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाद के अनुसंधानक के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नही किया गया है । अतः उक्त वाद के अनुसंधानक को स्मारित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि वह इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक–10.11.2020 तक समर्पित करें कि उक्त वाहन की आवश्यकता अनुसंधान के दौरान है या नही । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी को भेंजे ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

पश्चात्

03.11.2020 जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा को स्मारित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि वाहन निबंधन संख्या–**JH13F6147** का स्कीन प्रतिवेदन दिनांक–10.11.2020 तक समर्पित करें । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित जिला परिवहन पदाधिकारी को भेंजे ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

जी0आर0सं0–639/2020

दाउदनगर थाना कांड संख्या–218/2020

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री मनोज कुमार (अ0 पदाधिकारी)।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री अनिल कुमार ।

03.11.2020 कारागीन अभियुक्त रौशन कुमार उर्फ लड्डु की ओर से शक्ति पत्र के साथ ई–फायलिंग के तहत जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदा0 को दी गई है ।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के तहत वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते हैं कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया गया है । आवेदक के पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी नही हुई है । आवेदक दिनांक–14.08.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है । आवेदक इस मुकदमा में नामित नही है बल्कि आवेदक को इस वाद के सह अभियुक्त के बयान के आधार पर नामित किया गया है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि उक्त वाद की प्राथमिकी धारा **395 & 397** भा0दं0सं0 के अंतर्गत दर्ज की गई है । संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक–30.07.2020 को समय करीब 10:50 बजे इंडियन बैंक की शाखा जिनोरियों में आठ–दस अज्ञात अपराधियों के द्वारा घुसने लगे । गार्ड जब रोकने का प्रयास किया तो उसके साथ मारपीट किया गया तथा कट्टा के बट एवं चाकू से मारकर गार्ड को जख्मी कर दिया उसके बाद अपराधियों ने चाकू एवं पिस्तौल का भय दिखाकर बैंक का चौसठ लाख रूपया लूट लिया । बैंक के अंदर मौजूद ग्राहक को कमरे में घुसा कर बाहर से बंद कर दिया उसके बाद तीन मोटरसाईकिल से अपराधी दाउदनगर के तरफ भाग गये । आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नही है, बल्कि उनका नाम अनुसंधान के क्रम में आया है । अभिलेख पर उक्त वाद के अन्य अभियुक्तगण नामतः वीरजीत कुमार, सुरेन्द्र पासवान, मो0 नेसार आलम, सुदर्शन रविदास उर्फ मास्टर का स्वीकारोक्ति बयान अभिलेख पर है, जिसमें उक्त कथित घटना में आवेदक की संलिप्तता से सम्बन्धित कथन किया है । अभिलेख पर उपरोक्त अभियुक्त का भी स्वीकारोक्ति बयान है, जिसने उक्त घटना में अपनी संलिप्तता का कथन किया है । आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है । उक्त वाद में अनुसंधान जारी है । उक्त वाद के अन्य अभियुक्तगण का जमानत इस न्यायालय द्वारा खारिज है । अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा प्रदान करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।